भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 743
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए नियत
एमएसएमई को सहायता

743. **श्री बापी हलदरः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मछली पकड़ने, नाव बनाने, चटाई बुनने और पान की खेती से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष सहायता दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मथुरापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने एमएसएमई पंजीकृत हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) या मुद्रा योजनाओं के अंतर्गत कितना ऋण दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सुंदरबन में महिला उद्यमियों और मछुआरों के लिए तटीय उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एमएसएमई नवाचार योजना के अंतर्गत मथुरापुर में ग्रामीण युवाओं के लिए कोई स्टार्ट-अप या नवाचार हब बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को की गई थी ताकि हाथ और औजारों से काम करने वाले 18 परंपरागत ट्रेड के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम में 18 ट्रेड नामत: बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार बनाने/मरम्मत करने वाला, धातु कारीगर, टूल किट निर्माता, ताला बनाने/मरम्मत करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाले, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले (पारंपरिक), नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिनांक 14.05.2026 को राज्य निगरानी समिति और ज़िला कार्यान्वयन समितियों के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद, पश्चिम बंगाल राज्य में (मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) पीएम विश्वकर्मा स्कीम को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू हो गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले में स्थित मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र में दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2026 के दौरान 4,95,627 एमएसएमई "उद्यम" पर पंजीकृत किए गए हैं।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले में स्थित मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6,372 व्यक्तियों के लिए स्थायी रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए, पिछले पाँच वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) में 708 सूक्ष्म उद्यमों को 25.82 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता दी गई है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य में इसकी शुरुआत अर्थात् दिनांक 08.04.2015 से 26.06.2026 तक कुल 3.55 लाख करोड़ रुपये की राशि के 5.82 करोड़ ऋण दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय के पास सुंदरबन की महिला उद्यमियों और मछुआरों के लिए तटीय उद्यम संवर्धन स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने पूरे देश में सुंदरबन की महिला उद्यमियों और मछुआरों सहित भावी महिला लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. **उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआर) तथा उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी)**: महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत उद्यम, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण सहित मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र हैं।

ii. **एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति**: केंद्रीय मंत्रालयों और सीपीएसई को अपनी सालाना खरीद का कम से कम 3% हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिससे बाज़ार में उनकी उपलब्धता सुलभ हो सके।

iii. **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई):** महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम 90% तक के विस्तारित गारंटी कवरेज (अन्य के लिए यह 75% है) और सालाना गारंटी फ़ीस में 10% की छूट पाने के हकदार हैं।

iv. **पीएमईजीपी**: महिला लाभार्थियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है तथा वे अधिकतम 35% मार्जिन मनी सब्सिडी और 5% से भी कम परियोजना लागत की पात्र हैं। इसके विपरीत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है और उन्हें अपनी ओर से परियोजना लागत का 10% अंशदान करना होता है।

v. **कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना**: कयर क्षेत्र में काम करने वाली महिला कारीगरों की रोज़गार क्षमता और उद्यमिता कौशल बढ़ाने के लिए कयर विकास योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

vi. **खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम**: महिला उद्यमियों को घरेलू व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए स्वीकार्य व्यय के 100% तक का वित्तीय सहयोग दिया जाता है, जबकि अन्य उद्यमियों के लिए यह 80% है।

vii. **पीएम विश्वकर्मा स्कीम**: 18 अधिसूचित ट्रेड में से किसी में भी काम करने वाली महिला कारीगर कई तरह के लाभों के लिए पात्र हैं, जिनमें कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं।

viii. **यशस्विनी अभियान:** मंत्रालय मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी स्कीमों और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने में सहायता के लिए जागरूकता, पथ-प्रदर्शन सहायता, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण जैसे क्रियाकलाप चलाता है।

(घ) एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के इंक्यूबेशन घटक का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने, नए विचार को समर्थन देने तथा व्यवहार्य व्यापार उद्यमों में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करना है। यह शुरुआती दौर के विचारों को बढ़ावा देकर एमएसएमई और इस प्रकार स्टार्ट-अप पारितंत्र को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाता है। यह मेजबान संस्थाओं के माध्यम से इनक्यूबेशन की प्रक्रिया में सहायता करता है; ये अकादमिक संस्थाएं और नवाचार केन्द्र पूरे देश में व्यवसाय इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में 23 मेजबान संस्थाएं हैं और प्रत्येक अनुमोदित विचारों के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं।
